छब्बीस-२ सचिवालय

विषय :

न्यायालयीन याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 783/16 में विधि एवं विधायी कार्य विभाग से प्रतिरक्षण आदेश जारी कराये जाने बाबत।

का विभाग

पंजी क्रमांक 548/2016/ए-16

कृपया विचाराधीन पत्र का अवलोकन करें।

पंजीयक, माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर से प्राप्त याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 783/16 श्री बिरेन्द्र सिंह बारगाही विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य में श्रमायुक्त, इंदौर के आदेश दिनांक 04.03.2016 द्वारा सहायक श्रमायुक्त, सतना (म.प्र.) को प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर प्रतिरक्षण आदेश के लिए प्रस्ताव एकल नस्ती में प्रेषित कर विधि एवं विधायी कार्य विभाग से प्रतिरक्षण आदेश जारी करने हेत् अन्रोध किया है।

अतः श्रमायुक्त, इंदौर से प्राप्त एकल नस्ती प्रस्ताव अन्सार प्रतिरक्षण आदेश जारी करने हेत् नस्ती विधि एवं विधायी कार्य विभाग को अंकित करना चाहेंगे।

विश्वा क्षेत्र के कि निर्मा कर्म कि निर्मा कर्म

husaull

(एम.से वार्ट्स्य) प्रमुख स्थित, धम

परस्का केनदेश जारी कर प्रति

# पंजी क्रमांक 548/2016/ए-16

छब्बीस-२ सचिवालय

विषय : न्यायालयीन याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 783/16 में विधि एवं विधायी कार्य विभाग से प्रतिरक्षण आदेश जारी कराये जाने बाबत्।

\*\*\*

पूर्व पृष्ठ से:-

का विभाग



Hasi (1) 10 10 9-3-2016

कं. 19/2/विधि प्रकोष्ठ/16

# नोटशीट

# श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश इन्दौर

# (विधि प्रकोष्ठ)

विषय:- न्यायालयीन याचिका क्रमांक डब्ल्यू, पी. 783 / 16 में विधि एवं विधायी कार्य विभाग से प्रतिरक्षण आदेश जारी कराने बाबद।

कृपया पंजीयक, माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर से प्राप्त याचिका कमांक डब्ल्यू. पी. 783 / 16 श्री बिरेन्द्र सिंह बारगाही विरूद्ध म. प्र. शासन व अन्य का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें। जो कि विभाग को प्रेषित की गई है। (पष्ठ कं. 1 से तक)

उपर्युक्त याचिका में शासन की ओर से पक्ष प्रस्तुति हेतु सहायक श्रमायुक्त सतना (म.प्र.) को श्रमायुक्त मध्यप्रदेश इन्दौर के आदेश कमांक 30 दिनांक 4 3 द्वारा प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। (आदेश प्रति संलग्न है

उपर्युक्त याचिका में मध्यप्रदेश शासन श्रम विभाग भोपाल तर्फे मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर से संबंधित महाधिवक्ता, कार्यालय हेतु आवश्यक प्रतिरक्षण आदेश जारी कराए जाने का कष्ट करें।

3910

प्रमुख सचिव,श्रम (८९८)

21/201-A

मध्यप्रदेश इन्दौर

### IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH AT JABALPUR

19/2/19: 50/26

Process Id: 17029/2016


WP/783/2016

From

Kishore Pithawe Deputy Registrar, High Court of Judicature at Jabalpur On Merit and IR
Fixed for 14-03-2016
WP-DA-1
Respondent No. 4

To,

The State Advisory Contract Labour Board, Throgh - Its Chairman, Moti Bunglow, Indore, District- Indore (MADHYA PRADESH),



Jabalpur 30-01-2016


230

Sub: Notice to Respondent No. 4 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto) No. WP/ 783/ 2016

Sir/Madam.

I am cirected to inform you that one **Birendra Singh Bargahi** has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. **WP/783/2016** 

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before 14-03-2016. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided exparte.



Your faithfully

DEPUTY REGISTRAR

OR1

#### IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH PRINCIPAL SEAT AT JABALPUR.

Writ Petition No. /2016

Petitioner : Birendra Singh Bargahi & another

Versus

Respondents : State of M. P. & Others.

# INDEX

Sr.No.	Description of documents as relied upon.	Annexure	PageNo.
01.	Index	15.6	1
02.	Chronology of events	PT GCSSNI	2
03.	Writ Petition with affidavit.	The Paris of the P	3 - 11
04.	List of Documents	Shepal MM	12
05.	Copy of the advertisement dated 06.07.2015	P/1	13
06.	Copy of the select list/ merit list	P/2	14-23
07.	Copy of the notification dated 26/12/2000 and circular dated 27/01/2001	P/3 & P/4	24-30
08.	Copy of appointment orders of the petitioners is cumulatively marked.	P/5	31
09.	Copy of the order passed in W.P.No 1110/2009 and the M.C.C. No 1014/2007 is cumulatively marked	P/6	32-39
10.	Copy of order dated 21.09.2011 passed in W.P No 12653/2010 with bunch of petitions.	P/7	40-67
11.	Copy of the circular dated 06.03.2012	P/8	68-72
12	Copy of the documents	P/9	73-77
13.	Copy of the educational qualification of the petitioners is cumulatively marked.	P/10	78-82
14.	Vakalatnama	R. A GAIJON	83

Jabalpur Date- /1/2016 Counsel for the Petitioners

# श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन इन्दौर

इन्दौर, दिनांक रीप / 03 / 2016

# आदेश

कमांक 19/2/विधि प्रकोष्ट/16/30मध्यप्रदेश शासन श्रम विभाग के आदेश कमांक 1255, दिनांक 16 अक्टूबंर, 2007 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत सिविल प्रकिया संहिता (1908 का अधिनियम संख्या 5.) के आदेश 27 के नियम 01 तथा 02 के अधीन श्रमायुक्त द्वारा सहायक श्रमायुक्त सतना (म.प्र.) को (पक्षकारों के नाम) श्री बिरेन्द्र सिंह बारगाही विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन अन्य (याचिका कमांक डब्ल्यू. पी. 783 / 16) में नध्यप्रदेश राज्य के लिए तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनों पर हस्ताक्षर करने ओर उन्हें सत्यापित कार्य करने, आवेदन करने के लिए तथा कार्य करने, आवेदन करने, और उप संज्ञान होने के लिए नियुक्त किया जाता है। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि मध्यप्रदेश विधि एवं विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्व के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरन्त पश्चात् अन्य बातों के साथ ऐसी रीति में जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये है. निम्नलिखित कार्य करेगा:-

- 1. प्रभारी अधिकारी मामलों के तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जॉच करेगा, जैसा कि आवश्यक हो और याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं पर पैरा अनुसार उत्तर देते हुऐ और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुऐ जिनसे कि मामलें के संचालन मे महाधिवक्ता/शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुँचाने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा। यदि किसी प्रकरण पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से निर्दिष्ट की जावेगी।
- 2 समस्त सुसंगत फाईल, दस्तावेज, नियम, अधिसूचनाएँ तथा आदेश एकत्रित करेगा।
- 3. वादपत्र/याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुंओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिसका कि शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुँचाने की संभावना है, एक रिपोर्ट
- 4. शासकीय अधिवक्ना की सहायता से लिखित कथन / उत्तर तैयार करेगा एवं इस कार्यालय से अधिलंब अनुमोदन प्राप्त करते हुए समय-सीमा के अंदर जवाबदावा दायर करना निश्चित करेगा।
- 5 उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करेगा।
- 6 प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागज पत्र भेजेगा:-
- (क) वादपत्र की एक प्रति के साथ सरकार एवं श्रमायुक्त की एक रिपोर्ट।
- (ख) प्रस्तावित लिखिन कथन का एक प्रारूप।
- (ग) उन सभी दस्तावंजों की एक सूची जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल करना प्रस्तावित है और जिनकी प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है।

- (घ) मामले में विशुद्धिकरण के लिए आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियाँ इसमें वाद की सुनवाई की तारीख भी वर्णित होनी चाडिए।
- ग मामले के तैय री और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले उसके प्रक्रम और प्रगति मे नियत किये गये कत्तव्यों से स्वय सदैव ही अवगत रखना।
- 8 जब भी कोई आदेश / निर्णय विशिष्ट तथा मध्यप्रदेश राज्य के विरूद्ध पारित किया जाता है, तब विधि विभाग को सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना।
- 9 अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश / निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिए इस विभाग को भेजना।
- 10 यह देखना है कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियों को प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हो।
- 11 जैसे ही उसे अपना स्थनान्तरण आदेश प्राप्त होता है, वह अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। वह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा, जब अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं किया जाए।
- 12 प्रभारी अधिकारी मामले तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज अप्रकटित / छुपी नहीं रह जाए।
- 13 प्रभारी अधिकारी या लोक अभियोजक मुकर्रर है, तो वह जैसे वाद का निश्चित होता है, परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को करेगा। निर्णय की एक प्रति भी प्राप्त की जाए और रिपोर्ट के साथ भेजी जाए।
- 14 प्रभारी अधिकारी या यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है, तो वह इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहाँ किसी वाद के प्रकर्म में पारित किये गये किसी अन्तरीम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है, समय पर कार्यवाही की गई है। अतएव वह आदेश की प्रति,जैसे वही वह पारित किया जाए, विभागाध्यक्ष से अपनी अनुशंसा के साथ सरकार (प्रशासकीय विभाग) को प्रेषित करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

श्रमायुक्त,

मध्यप्रदेश, इन्दौर

#### प्रतिलिपिः

- 1. महाधिवक्ता, कार्यालय माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर।
- 2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग भोपाल।
- 3 प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग भोपाल कृपया प्रकरण में शासन के पक्ष में प्रतिरक्षण हेतु मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल से आवश्यक आदेश पारित करने हेतु अग्रेषित।
  - 4 सहायक श्रमायुक्त, सतना (म.प्र.) (प्रभारी अधिकारी) की ओर अग्रेषित कर साथ ही शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करने और उपस्थिति की प्रमाण पत्र, प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अपनी प्रत्येक मेंट (विजिट)पर शासकीय अधिवक्ता की आगे की कार्यवाही के लिए सलाह करने और मामले में अपनी प्रगति रिपोर्ट के साथ उसे विभागाध्यक्ष एवं प्रशाकीय विभाग को भेजने हेतु अग्रेषित। मामले की प्रगृति रिपोर्ट की एक प्रति विधि विभाग, भोपाल को भेजी जाए। प्रकरण में सुनवाई तिथि नियत है।
  - 5. शासकीय अधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर।

श्रमायुक्तः, मध्यप्रदेश, इन्दौर